

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(ग) अलेसे-III / मेरिट नंबर -2955/2013/5499

दिनांक :- 04-06-2020

कार्यालय आदेश

सुश्री गुडडी बाई मीना कनि० लेखाकार लिंक नंबर-10200/2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है

दिनांक- 25.07. 2018 से 03.08. 2018 तक (कुल 10 दिवस)
दिनांक- 14.11.2018 से 28.11.2018 तक (कुल 15 दिवस)
(चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)
दिनांक- 29.11.2018 से 02.12.2018 तक (कुल 4 दिवस)
(चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)
दिनांक- 11.12.2018 से 20.12. 2018 तक (कुल 10 दिवस)
(चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)
दिनांक- 01.01.2019 से 17.01.2019 तक (कुल 17 दिवस)
दिनांक- 28.05.2019 से 21.06.2019 तक (कुल 25 दिवस)
(चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल-81 दिवस

उक्त कुल 81 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री गुडडी बाई मीना की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। साथ ही इन्हे दिनांक 04.08.2018 ,05.08. 2018, 22.06.2019, 23.06.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(ग) अलेसे-III / मेरिट नंबर -2955/2013/5499

दिनांक :- 04-06-2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सुश्री गुडडी बाई मीना कनि० लेखाकार लिंक नंबर-10200/2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)